

Madhya Bharat Power Corporation Limited
Registered Office: E-585, Greater Kailash-II, (Ground Floor), New Delhi – 110048,
Head Office: 2nd Floor, Vanijya Bhawan, Devendra Nagar Square, Jail Road, Raipur (C.G.)
Telephone: 91 771 2214100, 2214200, Fax 91 771 2214250

PUBLIC NOTICE

M/s Madhya Bharat Power Corporation Ltd. (MBPCL) has filed a petition (Case No 22/2021) before the Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission on 04/03/2021 for approval of Capital cost and determination of Provisional Tariff with effect from 15/05/2021 for its 113 MW Rongnichu Hydro Electric Project located in the State of Sikkim. The Petition has been filed under Sections 62(1)(a) & 86(1) of Electricity Act, 2003 read with the CSERC (Multi Year Tariff) Regulations 2015. Provisional Capital Cost of the project being is Rs1620.73 Crore. The overall Annual Revenue Requirement for FY 2021-22 (pro-rata for the period after envisaged COD) has been worked out as below:

Table: Summary of Annual Fixed Cost (AFC) of Rongnichu HEP (Rs Crore)

S No.	Particulars	FY 2021-22 (Pro-Rata)
1.	Interest on Loan capital	127.88
2.	Depreciation	60.91
3.	O&M Expenses	21.32
4.	Interest on working capital	3.67
5.	Return on Equity	66.28
	Total Annual Fixed Cost	280.06

Considering the annual design energy of the project as 340.66 MUs, the overall tariff levelised over the life of the asset (35 years) comes to around Rs 6.88 per kWh. As per PPA, Transmission Charges and Losses up to Chhattisgarh Periphery shall be borne by MBPCL. As per the prevailing provisions, energy generated by the above plant shall be eligible for meeting Renewable Purchase Obligation (RPO).

The Hon'ble Commission has ordered for initiating regulatory process vide order dated 03/07/2021 for determination of Provisional tariff. As part of the regulatory process, comments are solicited from the Public on the said Tariff Petition. For this purpose, Petition will be available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the petition will be made available at following offices during office hours;

- i) Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur (CG)
- ii) M/S Madhya Bharat Power Corporation Ltd. (MBPCL), 2nd Floor, Vanijya Bhawan, Devendra Nagar Square, Jail Road, Raipur-492001,

Interested persons can purchase tariff petition on any working day after making payment of Rs. 500/-. Copy of the petition may be obtained by post on additional payment of Rs. 100/- towards postage fee. Persons intending to file objections/suggestions relating to this petition may file the same within 21 days from the publication of this Notice either in person or by post to:

- i) Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur Pin - 492001 Fax - 0771-4073553 and/or
- ii) Director, M/S Madhya Bharat Power Corporation Ltd. (MBPCL), Registered Office: E-585, Greater Kailash-II, Phone: +91-11-41012163, Ground floor, New Delhi-110048 & Head Office: 2nd Floor, Vanijya Bhawans, Devendra Nagar Square, Jail Road, Raipur-492001, Phone: 0771-2214200.

Objection/suggestion can also be mailed to e-mail ID cserc.sec.cg@ic.in. The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission shall notify the date and time of public hearing separately.

***M/s Madhya Bharat Private Corp. Ltd.,
Rongnichu Hydro Energy Private Ltd.***

मध्य भारत पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्या. : ई-585 ग्रेटर कैलाश-2, (भू-तल) नई दिल्ली-110048,
मुख्य कार्या. : द्वितीय तल, वाणिज्य भवन, देवेन्द्र नगर चौक, जेल रोड, रायपुर 492001 (छ.ग.)
फोन : 917712214100, 2214200 फैक्स : 917712214250

आमसूचना

मेसर्स मध्य भारत पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.बी.पी.सी.एल.) द्वारा अपने सिक्किम स्थित 113 मेगावॉट क्षमता की रोंगनिचु हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के पूँजी लागत का अनुमोदन तथा दिनांक 15/05/2021 के प्रभाव से अंतरिम टैरिफ (Provisional Tariff) के निर्धारण हेतु माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) के समक्ष याचिका दिनांक 04/03/2021 को दायर किया गया है। याचिका सी.एस.ई.आर.सी. (Multi Year Tarrif) विनियम 2015 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (1) (क) एवं 86 (1) के अन्तर्गत दायर की गई है। परियोजना की अंतरिम पूँजी लागत (Provisional Capital Cost) 1620.73 करोड़ रूपया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यथानुपातिक सम्पूर्ण वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Annual Revenue Requirement) निम्नानुसार है।

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22 (समानुपातिक)(रु करोड़)
1.	ऋण पूँजी पर ब्याज	127.88
2.	मूल्य ह्रास (डेप्रिशीएशन)	60.91
3.	ओ एण्ड एम व्यय	21.32
4.	कार्यशील पूँजी पर ब्याज	3.67
5.	रिटर्न ऑन इक्विटी	66.28
	कुल वार्षिक निश्चित लागत	280.06

परियोजना की वार्षिक डिजाईन उर्जा (Annual Design Energy) 340.66 MU. के आधार पर परिसम्पत्ति के जीवन (35 वर्ष) तक लेवलाइज्ड टैरिफ रु 6.88 / KWh. आता है। पीपीए के अनुसार MBPCL द्वारा छत्तीसगढ़ परिधि तक पारेषण हानियाँ एवं प्रभार का वहन किया जाना है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार उक्त पॉवर प्लांट से उत्पादित की गई विद्युत अक्षय ऊर्जा क्रय किए जाने के उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करेगी।

माननीय आयोग ने आदेश दिनांक 03/07/2021 के माध्यम से अंतरिम टैरिफ के निर्धारण हेतु रेगुलेटरी प्रक्रिया शुरू किए जाने हेतु आदेशित किया है। रेगुलेटरी प्रक्रिया के अंतर्गत, उक्त टैरिफ याचिका पर दावा/आपत्तियां मंगाई जाती है। इस हेतु अयोग के वेबसाईट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं मेसर्स मध्य भारत पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वितीय तल, वाणिज्य भवन, देवेन्द्रनगर चौक, जेल रोड, रायपुर 492001 (छ.ग.) के कार्यालय में उपलब्ध है जिन्हे रु. 500/-का भुगतान कर किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्ति किया जा सकता है। याचिका के प्रति उक्त भुगतान के साथ-साथ डाक व्यय के रूप में अतिरिक्त रु. 100/- के भुगतान से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत याचिका की प्रति

याचिकाकर्ता की उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति अपने आपत्ति/सुझाव निम्नलिखित पते पर इस आमसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समय-सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिचाई कॉलोनी, शांतिनगर, रायपुर, पिन-492001 फैक्स- 07714073553 एवं / या
2. मेसर्स मध्य भारत पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्या. : ई-585 ग्रेटर कैलाश-2, (भू-तल) नईदिल्ली-110048 तथा मुख्य कार्या. : द्वितीय तल, वाणिज्य भवन, देवेन्द्रनगर चौक, जेल रोड, रायपुर 492001 (छ.ग.)

सुझाव/आपत्ति ई-मेल द्वारा ई-मेल आईडी cserc.sec.cg@nic.in पर भी भेजा जा सकता है। विद्युत नियामक आयोग उपरोक्त याचिका पर सुनवाई हेतु दिनांक एवं समय पृथक से प्रकाशित करेगा।

मेसर्स मध्य भारत पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड